221

संख्या– /IV-3/2016–04(137)/2015

प्रेषक,

डी०एस० गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
अर्द्ध कुम्भ मेला–2016,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः 8 फरवरी, 2016

विषय– अर्द्ध कुम्भ मेला 2016 की व्यवस्थाओं के अर्न्तगत सतीद्वीप से गौरीशंकर अस्थायी सेतु के लिंग मार्ग के निर्माण कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1971/अ0कु0मे0/एच0डी0ए0/सतीद्वीप गौरीशंकर लिंक मार्ग, दिनांक 08.01.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्द्ध कुम्भ मेला 2016 की व्यवस्थाओं के अर्न्तगत सतीद्वीप से गौरीशंकर अस्थायी सेतु के लिंग मार्ग के निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू0 29.88 लाख (रू0 उन्नतीस लाख अठ्ठासी हजार मात्र) के कार्य की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। अर्द्ध कुम्भ मेला–2016 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत विभिन्न कुम्भ सैक्टरों में स्थायी/अस्थायी मार्ग निर्माण एवं एस0डी0बी0सी0 कार्य हेतु शासनादेश संख्या–1589 IV-3/2016–04(83)/2015 दिनांक 21.10.2015 के द्वारा स्वीकृत लागत रू0 418.93 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बचत की धनराशि में से विषयगत कार्य हेतु धनराशि रू0 29.88 लाख निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) भारत सरकार से प्राप्त धनराशि की प्रथम किश्त से ही उक्त धनराशि का समायोजन सुनिश्चित करेंगे।

(ii) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

(iii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(iv) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये ज़ितनी धनराशि की स्वीकृति गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(v) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व करा लिया गया है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय व कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण किया जाय।

(vi) प्रश्नगत कार्य का गहन निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा भी किया जाएगा।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, वित्तीय हस्त पुस्तिका व बजट मैनुअल के अनुसार किया जाय।

4– अर्द्ध कुम्भ मेला–2016 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत विभिन्न कुम्भ सैक्टरों में स्थायी/अस्थायी मार्ग निर्माण एवं एस0डी0बी0सी0 कार्य हेतु शासनादेश संख्या–1589 IV-3/2016–04(83)/2015 दिनांक 21.10.2015 के द्वारा स्वीकृत लागत रू0 418.93 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बचत की धनराशि में से विषयगत कार्य हेतु धनराशि रू0 29.88 लाख का व्यय किया जायेगा तथा शेष धनराशि राजकोश में जमा की जायेगी।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या–3045(1) /IV-3/2016–04(137)/2015, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी0–1/105, इन्दरा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
6. सचिव, हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग–2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।